फूलचन्द बनाम कालूराम
दाता मु.नं.: 53/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो हुक्म की ताम[ील] में जारी हु[ए]
17.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

17/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
53/2022	2022/098	13.05.2022	17.02.2023

उनवान प्रकरण

1. फूलचन्द उम्र 80 साल
2. रेखाराम उम्र 75 साल
3. देवीसिंह उम्र 68 साल
4. सीताराम उम्र 58 साल

पुत्रगण नन्दाराम

समस्त जाति जाट निवासी ढ़ाणी डेरावाली तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

---वादीगण---

बनाम्

1. कालू पुत्र नाथू उम्र 75 साल
2. औंकार उर्फ नगराम पुत्र नाथू उम्र 65 साल
3. केशर उम्र 40 साल
4. रामवतार उम्र 42 साल
5. हरिसिंह उम्र 50 साल

पुत्रगण गीदा पौत्रगण स्व0 नाथू

6. साधू पुत्र नाथू उम्र 70 साल
7. नानगा पुत्र नाथू उम्र 80 साल

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

8. मोहरीलाल उम्र 62 साल
9. श्रवणलाल उम्र 58 साल
10. सुखदेव उम्र 40 साल

पुत्रगण स्व0 गोमा

11. ग्यारसी देवी उम्र 70 साल
12. चन्द्री देवी उम्र 64 साल
13. आची देवी उम्र 48 साल

पुत्रीया स्व0 गोमा

14. सोनी देवी पुत्री स्व0 श्योला उम्र 50 साल
15. रामसहाय उम्र 63 साल
16. चुन्नीलाल उम्र 60 साल
17. राधाकिशन उम्र 45 साल

पुत्रगण स्व0 श्योला पौत्रगण स्व0 नाथू

18. सरिता पत्नी स्व0 बीरबल पुत्रवधु स्व0 श्योला उम्र 40 साल
19. महेन्द्र पुत्र स्व0 बीरबल पौत्र स्व0 श्योला उम्र 22 साल
20. मंजू पूत्री स्व0 बीरबल पौत्री स्व0 श्योला उम्र 20 साल
21. सोनी पत्नी स्व0 फूलचन्द पुत्रवधु स्व0 श्योला उम्र 65 साल
22. पूरण उम्र 40 साल
23. रवि उम्र 28 साल

पुत्रगण स्व0 फूलचन्द पौत्रगण स्व0 श्योला

24. अनिता उम्र 25 साल
25. आशा उम्र 23 साल

पुत्रीयां स्व0 फूलचन्द पौत्रीयां स्व0 श्योला

समस्त जाति जाट निवारसी ढ़ाणी डेरावाली तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

26. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

27 मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा– गढ़टकनेत। ——प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री फूलसिंह सामोता, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 25 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 26 की ओर सें।

दावा बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा 88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 885, 886, 888, 890, 965, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 976, 977 कुल किता 16 कुल रकबा 12.4100 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 884, 887, 889, 971, 975, कुल किता 5 कुल रकबा 4.1600 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी हिस्सा 1/42 प्रतिवादी संख्या 1 एवं हिस्सा 1/42 प्रतिवादी संख्या 2 एवं हिस्सा 1/126 प्रतिवादी संख्या 3 एवं 1/126 प्रतिवादी संख्या 4 एवं 1/126 प्रतिवादी संख्या 5 एवं हिस्सा 1/42 प्रतिवादी संख्या 6 एवं हिस्सा 1/42 प्रतिवादी संख्या 7 एवं हिस्सा 1/42 मृतक गोमा पुत्र नाथू एवं हिस्सा 1/42 मृतक श्योला पुत्र नाथू के नाम दर्ज है जो कुल हिस्सा 1/6 दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार खानदान से है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियां में प्रतिवादी[illegible] खातेदारी दर्ज

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

है। जिसमें मुताबिक पारिवारिक सैटलमेन्ट बाहमी बंटवारा के अनुसार 1/6 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/12 हिस्सा की भूमि पर हिस्सानुसार 1/26 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/26 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 4 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के हक व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है तथा यहां यह उल्लेखनिय है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 25 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में अन्य कृषि भूमियां आयी हुयी है। वादीगण ने उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में दावा उनवानी फूलचन्द वगैरह बनाम् अणची वगैरह मुकदमा नम्बर –98/2008 प्रस्तुत किया गया था। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2008 को राजीनामा के अनुसार डिक्री फरमा दिया गया था परन्तु दावा व राजीनामा में दर्ज हिस्सा में लिपिकीय त्रुटि हो जाने एवं वादीगण ग्रामीण परिवेश के भोले भाले व्यक्ति होने के कारण लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु समय पर इजराय आवेदन प्रस्तुत नहीं करने एवं निर्णय डिक्री की पालना में इजराय 12 वर्ष तक की अवधि में ही कानूनन पेश की जा सकती है। निर्णय डिक्री को पारित हुये 12 वर्ष की अवधि से अधिक समय हो चुका है। इसलिए अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। खातेदार गोमा पुत्र नाथू एवं श्योला पुत्र नाथू फौत हो चुके है। जिनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 एवं 14 ता 25 है। जिनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने वादपत्र ईस्तकारार हक का पेश कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 885, 886, 888, 890, 965, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 976, 977 कुल किता 16 कुल रकबा 12.4100 हैक्टर [illegible] नम्बर 884, [illegible]87, 889, 971, 975 कुल किता 5 कुल रकबा 4.1600 हैक्टर [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सीकर (राज0) के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृत्तक गोमा पुत्र नाथू व मृत्तक श्योला पुत्र नाथू के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/12 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक गोमा पुत्र नाथू व मृत्तक श्योला पुत्र नाथू का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हिस्सानुसार 1/48 हिस्सा वादी संख्या 1 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 2 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 3 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 4 के नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने एवं शेष हिस्सा 1/6 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि में 1/12 हिस्सा का वादी प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 ता 5 को हिस्सानुसार 1/26 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/26 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 4 एवं 1/468 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं मृतक गोमा पुत्र नाथू व मृतक श्योला पुत्र नाथू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया है। वादीगण ने यह वाद बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण का न्यायालय में पेश किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादी संख्या 3 देवीसिंह की पहचान एवं शेष वादीगण की ओर से राजीनामा वादीगण वकील श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने स्वीकार किया। उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5, 7 लगायत 25 की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की। पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। शेष प्रतिवादीगण संख्या 6, 26, 27 को तामील ... रजिस्टर्ड

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

डाक से हो जाने के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 6, 26, 27 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादीगण साक्ष्य में वादीगण फूलचन्द पुत्र नन्दाराम का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र एंव वादीगण साक्ष्य गवाहान् में रामचन्द पुत्र स्वर्गीय मोटूराम व देवीसिंह पुत्र नन्दाराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 6, 26, 27 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने तथा शेष समस्त प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा दिये जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा, साक्ष्य वादीगण में वादी व गवाहान् द्वारा पेश शपथ पत्रों व दस्तावेजात् जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, पूर्व में न्यायालय में विचाराधीन रहे प्रकरण मुकदमा संख्या 98/2008 उनवानी फूलचन्द वगै0 बनाम अणची देवी वगै0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2008 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एंव मृत्तक गोमा पुत्र नाथू एंव मृत्तक श्योला पुत्र नाथू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 19 आपस में एक ही परिवार खानदान से होना प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा पारिवारिक सैटलमेंट बाहमी बंटवारा किया जाकर उसी अनुसार मौके पर अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज़ काश्त होना प्रकट होता है। उक्त बाहमी बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण [illegible] लगायत 25 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त में अन्य दीगर कृषि [illegible] है। उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार पक्षकारान् के द्वारा पूर्व में एक दावा उन[illegible] फूलचन्द वगै0 बनाम् अणची

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

बतौर मुकदमा संख्या 88/2008 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में पेश किये जाने पर बरूए राजीनामा अनुसार उक्त वादपत्र दिनांक 26.06.2008 को न्यायालय के द्वारा डिक्री किया जाना प्रमाणित होता है। जिसमें राजीनामा में दर्ज हिस्से में लिपिकीय त्रुटि हो जाने से एवं 12 वर्ष तक इजराय आवेदन पत्र पेश नहीं करने के कारण उक्त निर्णय व डिक्री की पालना नहीं होना रिकार्ड से प्रकट होता है। जिसके कारण उक्त वादपत्र पुनः न्यायालय में पेश किया जाना प्रकट होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 5 एवं 7 लगायत 26 के द्वारा वादीगण के पक्ष में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया जाना प्रकट होता है। वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद साक्ष्य वादी में वादी देवीसिंह पुत्र नन्दाराम व गवाहान् रामचन्द्र पुत्र गोकुराम द्वारा पेश लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादिगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादिगण का वाद बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 881, 882, 883, 885, 886, 888, 890, 965, 966, 967, 970, 972, 973, 974, 976, 977 कुल किता 16 कुल रकबा 12.4100 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 884, 887, 889, 971, 975 कुल किता 5 कुल रकबा 4.1600 हैक्टर तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के वर्तमान रा[illegible]ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं मृत्तक गोमा पुत्र [illegible] के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 में से 1/2 हिस्सा अर्थात् कुल भूमि में 1/12 हिस्सा का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त हिस्सा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं मृतक गोमा पुत्र नाथू व मृतक श्योला पुत्र नाथू का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी हिस्सानुसार 1/48 हिस्सा वादी संख्या 1 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 2 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 3 के एवं 1/48 हिस्सा वादी संख्या 4 के नाम रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं शेष हिस्सा 1/6 में से 1/2 हिस्सा अर्थात कुल भूमि मे 1/12 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं 3 ता 5 को हिस्सानुसार 1/26 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/26 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 2 को एवं 1/468 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 3 को एवं 1/468 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 4 को एवं 1/468 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 6 व 7 एवं मृतक गोमा पुत्र नाथू व मृतक श्योला पुत्र नाथू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

17/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.16 10:17:21 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)